



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2031]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 21, 2017/आषाढ़ 30, 1939

No. 2031]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 21, 2017/ASADHA 30, 1939

I Md ifjogu vkj jktekxl eaky;

vf/kl puk

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2017

dk-vk- 2291¼½—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 170 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः—

## तालिका

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
170	51	गुजरात राज्य में सिग्नेचर ब्रिज सहित बेट द्वारका से प्रारंभ होकर ओखा, द्वारका, भोगत, पोरबंदर, नवीबंदर, शिल, मंगरोल, सोमनाथ, कोडीनार, उना महुआ, तालजा, भावनगर, सोनगढ़, गधादा, बोताड़, रणपुर, लिम्बडी, सुरेंद्रनगर, ध्रगधारा को जोड़ने वाला और कुडा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/9/2017-पी एंड एम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

**पाद टिप्पण :** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180, दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ., दिनांकित 23 जून, 2017 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st July, 2017

**S.O. 2291(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4<sup>th</sup> April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial number 170 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

**TABLE**

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
170	51	The highway starting from Bet Dwarka including Signature Bridge connecting Okha, Dwarka, Bhogat, Porbandar, Navibandar, Shil, Mangrol, Somnath, Kodinar, Una Mahuva, Talaja, Bhavnagar, Songadh, Gadhada, Botad, Ranpur, Limbdi, Surendranagar, Dhrangadhra and terminating at Kuda in the State of Gujarat

[F. No. NH-14012/9/2017-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

**Footnote:** The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4<sup>th</sup> April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689 (E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 and last amended vide notification dated 23<sup>rd</sup> June, 2017